

अत्यन्त आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रसं०-ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/15-16 / आन लाइन शापिंग/ 2003 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(वि०अनु०शा०-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 30 अक्टूबर 2015

समस्त जौनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिशनर कमिशनर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

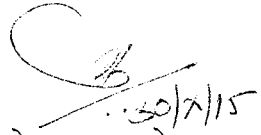
कृपया मुख्यालय के पत्रसंख्या- ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/15-16 / आन लाइन शापिंग/ 384 /वाणिज्य कर दिनांक 13-05-2015 (कम्प्यूटर परिपत्रसं० 1516009 दिनांक 14-05-2015), ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/15-16 / आन लाइन शापिंग/ 576 /वाणिज्य कर दिनांक 02-06-2015 , विधि (1)/ 2008-09 / परिपत्र भाग-2 /भाग-3 (15-16)/1047/वाणिज्य कर दिनांक 19-08-2015 (कम्प्यूटर परिपत्रसं० 1516033 दिनांक 19-08-2015) एवं ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/15-16 / आन लाइन शापिंग/ 1940/ वाणिज्य कर दिनांक 23-10-2015 (कम्प्यूटर परिपत्रसं० 1516043 दिनांक 23-10-2015) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऑन लाइन शापिंग / कोरिअर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों को एस०पी०एन० के दायरे में लाते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर उनसे वांछित प्रारूपों में प्रपत्र रखवाए जाने तथा सर्विस प्रोवाइडर न० प्रदान किए जाने की ऑन लाइन व्यवस्था से अवगत कराया गया है।

वर्तमान में ई कामर्स के व्यापक प्रचलन को देखते हुए ऐसी ई कामर्स कम्पनियाँ जो उ०प्र० में व्यापार कर रही हैं, उन्हें एस०पी०एन० प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया से अवगत कराते हुए शीघ्र पंजीयन जारी कराया जाय तथा Ease Of Doing Business के उद्देश्य से 24 घण्टे के अन्दर पंजीयन प्रमाण-पत्र ई- मेल के माध्यम से प्रेषित कराए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

विगत में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एक सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी को एस०पी०एन० न० प्रदान करने में बिना किसी कारण अत्यन्त विलम्ब किया गया है। उक्त सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी को एस०पी०एन० न० प्राप्त करने हेतु अनावश्यक रूप से कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े हैं। किया गया यह विलम्ब विभाग की उदासीनता एवं दूषित व्यवस्था एवं पंजीयन प्राप्त करने के आवेदकों का उत्पीड़न प्रदर्शित करता है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित एवं क्षम्य नहीं है। भविष्य में इसप्रकार अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाना पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। ई- कामर्स के बढ़ते व्यवसाय के दृष्टिगत ई- कामर्स कम्पनियों के कोरियर सेवा प्रदाता एवं ट्रॉसपोटर्स तथा गोदाम में माल रखने वालों को भी एस०पी०एन० न० लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित किया जाय तथा उन्हें पंजीयन के दायरे में लाते हुए विधिक प्राविधानों के अनुसार एस०पी०एन० न० जारी किए जायें।

एस०पी०एन० न० दिए जाने के प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित कराएँ कि आवेदन-पत्रों का निस्तारण करते हुए तत्काल एस०पी०एन० प्रदान किया जाय।

निर्देशों का अनुपालन पूरी निष्ठा / कड़ाई से सुनिश्चित करें / करायें।


(मुकेश कुमार मिश्राम)
कमिशनर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।